



# मोर संगवारी

## मोर संगवारी सेवा के बारे में

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार “घर पहुंच सरकारी सेवा” तंत्र के माध्यम से “मोर संगवारी” सेवा के रूप में ,अपने नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोर संगवारी , सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ बनाने, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रतिक्रिया और समावेशिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

मोर संगवारी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं

- **सरकारी कार्यालयों की दौरे की आवश्यकता नहीं:** सरकारी कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। संगवारी एजेंट नागरिकों के घर-घर जाकर सेवा प्रदान करते हैं, जिससे नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है।
- **सुखद अनुभव:** एक सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवा वितरण चैनल प्रदान करता है, जो बाधाओं को कम करता है और नागरिक भागीदारी बढ़ाता है।
- **नागरिक सेवाओं के लिए एकल प्लेटफॉर्म:** एक एकीकृत मंच जहाँ नागरिक आवश्यक सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच सकते हैं।
- **समय पर सेवा वितरण (SLA आधारित):** सेवाएं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वितरित की जाती हैं, सेवा स्तर समझौतों (SLAs) का पालन करके सुनिश्चित करती हैं कि सेवाएं समय पर मिलें।
- **सीधी पहुँच:** मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सेवाओं तक सीधी पहुँच, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अतिरिक्त प्रशासनिक परतों को कम करता है।
- **सूचना के लिए एकल प्लेटफॉर्म:** कई चैनलों के माध्यम से सूचना तक पहुँच, जैसे कि कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और चैटबॉट, जहाँ नागरिक आसानी से सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेवाओं को प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग करें और क्या शुल्क लागू है, इसकी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध होती है

परंपरागत रूप से, नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए कई स्थानों जैसे कि ब्लॉक, नगरपालिका निगम, तहसील, सरकारी कार्यालय और अन्य विभागों में दौरे करने पड़ते थे। लेकिन, मोर संगवारी के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस प्रक्रिया को एक अधिक सुविधाजनक और प्रभावी तरीके से बदलने का लक्ष्य रखती है, जिससे नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाओं और प्रमाणपत्रों को उनके घर पर प्राप्त किया जा सके। यह पहल भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को कम करने और पूरे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने का प्रयास करती है, जिससे यह अधिक सुलभ और नागरिक मित्रवत बन सके। मोर संगवारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4-चरणीय मार्गदर्शिका

1. नागरिक अपने घर की सुविधा से मोर संगवारी कॉल सेंटर पे टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह सेवा उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पसंद की तारीख और समय चुनने की अनुमति देती है, सरकारी कार्यालय के दौरे की आवश्यकता को समाप्त करती है और समय तथा प्रयास बचाती है।
2. मोर संगवारी आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों को नागरिकों के घर से एक नामित व्यक्ति “संगवारी एजेंट” के माध्यम से एकत्र करता है, जो विभिन्न भुगतान तरीकों के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और विभागीय शुल्क एकत्र करता है।
3. दस्तावेजों को नागरिकों के दरवाजे से एकत्र करने के बाद, संगवारी एजेंट संबंधित विभाग में आवेदन प्रस्तुत करने और किसी भी आपत्ति को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। संगवारी एजेंट सुनिश्चित करता है कि सभी मुद्दों का तुरंत समाधान हो, जिससे नागरिक के लिए प्रक्रिया सहज और प्रभावी हो ।
4. एक बार जब प्रमाणपत्र विभाग द्वारा अनुमोदित और जारी कर दिया जाता है, तो इसे संगवारी एजेंट द्वारा नागरिक के दरवाजे पर एक सीलबंद लिफाफे में वितरित किया जाता है ।

वर्तमान में मोर संगवारी को निम्नलिखित स्थानों पर लॉन्च किया गया है:

- **नगर निगम – 14**
- **नगरपालिकाएं – 48**
- **नगर पंचायतें – 2**

समय के साथ, मोर संगवारी को अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा। मोर संगवारी सेवाएँ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं, नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार सेवा प्राप्त कर सकते हैं ।

## सेवाएं

मूल निवासी प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध गैर-डिजिटल (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति)

मृत्यु प्रमाण पत्र

विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र

नया राशन कार्ड APL (सफेद)

नया राशन कार्ड BPL (प्राथमिकता)

राशन कार्ड सरेंडर / ट्रांसफर

राशन कार्ड भर जाने पर

राशन कार्ड में सुधार के लिए

जन्म प्रमाण पत्र

दुकान और स्थापना पंजीकरण

भूमि सूचना (भूमि उपयोग)

जन्म प्रमाण पत्र सुधार

मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार

विवाह प्रमाण पत्र सुधार

आधार कार्ड

पैन कार्ड

राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने / हटाने के लिए

राशन कार्ड खो जाने/गुम जाने पर

राशन कार्ड में सुधार के लिए

असंगठित श्रमिक कार्ड संशोधन